UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2117 /25-0 दिनांक 27 / 11 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषयः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.54 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/36040/2018

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 138 / 2019 / एफ0सी0 / 1419 दिनांक 25.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	भू–संदर्भित डिजिटल मानचित्र और KML फाइल में CA क्षेत्र का आकार मेल नहीं खा रहा है। अतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि CA क्षेत्र का आकार भू–संदर्भित डिजिटल मानचित्र और KML फाइल में मेल खा रहा है और प्रस्तुत तथा अपलोड करें।	Digital map & KML file with matching CA area is uploaded.
2	सी0ए0 क्षेत्र के डी0एस0एस0 विश्लेषण के अनुसार यह क्षेत्र किसी अन्य प्रस्ताव के साथ अतिव्यापी (overlapping with proposal No. FP/UK/ROAD/27119/2017) 2.97 है0 में पाया गया है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध मं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	As per DSS Analysis overlapping with proposal number FP/UK/ROAD/27119/2017) is removed.
3	लाभान्वित होने वाले ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित प्रतीत हो रहे हैं। प्रस्ताव मात्र एक और कनेक्टिविटी के लिए प्रतीत होता है। राज्य सरकार इस पर स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत करें। साथ ही राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले गॉवों की स्थिति KML फाइल पर अंकित कर ऑनलाइन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	यह मोटर मार्ग ग्रामसभा जारती रीमा के ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग से जोडने में सहायता प्रदान करेगा जिसे ग्रामवासियों के आर्थिक सामाजिक विकासमें मदद मिलेगी। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति KML फाइल पर अंकित कर ऑनलाइन कर दी गई है। और पैरा C(ii) (b) पर अपलोड कर दी गई है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
4	राज्य सरकार ऑनलाईन पैरा L(iv) (f), (g) और (h), part-I पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।	पैरा L(iv) (f), (g) और (h) पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को सम्बन्धित प्राधिकरण से प्रमाणित करा दिया गया है।
5	Muck disposal plan has not been countersigned by DFO , State Government may submit the Muck Disposal plan duly authenticated by DFO in original.	Whole muck disposal is carried in napland with prior permission of villagers there NOC (No objection certificate) is duly attached. No muck dumping is carried out in forest land.
6	In bar chart 800m reserve forest is shown but the same is not included in proposal state Government may submit clarification in this regard and provide/upload correct data.	In 6 km of proposed road 800m land shown in bar chart is actually nap land, calculation for the same is also shown in bar chart, which can also viewed from the dgital map of the road. Bar chart has been revised an uploaded. (additional document S.No 32)
7	Work not start certificate is not found uploaded. State Government may uploaded the same online as additional document.	Work not start certificate is uploaded in (additional document S.No 31)
8	Under FRA, rhe second page of the proceedings of the SDLC meeting has not been provided in the hard copy of the proposal. State Government may provide the complete proceedings of SDLC under FRA.	Complete FRA of the SDLC meeting is provide in hard copy.
9	State Govt. may submit original copy of the revised documents in view of above points.	Original copy of revised document of the above points is provided.

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

प्रपत्र– 28

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>बारचार्ट</u>

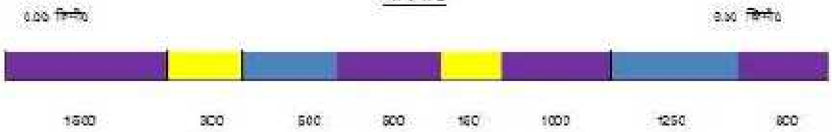

सिविल सोयम भूमि– 450 मी0
वन पंचायत भूमि – 1750 मी0
नापभूमि – 3600 मी0

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे0 में)
सिविल एवं सोयम वनभूमि	पीला	
वन पंचायत भूमि	नीला	
नापभूमि	अन्य रंग	

जिलाधिकारी
बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ... तहसील ...
जिला–बागेश्वर

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट– उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

2.10(b)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम जारती, रीमा क्यूटी एवं पपोली की 1.540 है0 सिविल भूमि, 0.315 है0 वन पंचायत भूमि, 1.225 है0 आरक्षित वनभूमि, कुल 0.00 है0 भूमि निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम-**बेजोरियाझाल** के श्रेणी 9(3)ड अन्य वन के वन मध्ये **3.080** है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ड में भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र-रवाईखाल, तहसील-बागेश्वर, जिला बागेश्वर के नियंत्रणाधीन है।

शासनादेश संख्या 683(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2682 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक रवाईखाल द्वारा दिनांक 05.07.2018 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरुप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरुप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपुक्त है।

उपजिलाधिकारी कपकोट	तहसीलदार बागेश्वर	राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र रवाईखाल तहसील बागेश्वर जिला-बागेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00किमी0)** के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट
सहायक अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि
कपकोट
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० प्रस्तावित मोटर मार्ग नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद है जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा0सं0 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21) /2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी 9(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षों का स्वरुप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

तहसीलदार
बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र .... तहसील ....
जिला बागेश्वर

प्रपत्र– 2.27

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी कपकोट (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
कपकोट

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

नोट– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।